न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– आर0 के0 जायसवाल, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

मुकदमा नम्बर :– 01/2020 (आर.सी.एम.एस.नम्बर 2020/00002)

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी धौलपुर ———————— प्रार्थी।

बनाम

श्री योगेश नागर पुत्र श्री हुक्मसिंह नागर, जाति खटीक, उर्म 26 वर्ष निवासी छावनी जिला धौलपुर तथा अन्य ————————अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति : –

1 – प्रार्थी की ओर से :– दिव्या कमठान सहायक लोक अभियोजक़ (प्रथम)
2 – अप्रार्थी की ओर से :– श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट

निर्णय दिनांक 28.01..2021

निर्णय

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना प़त्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि जिला रसद अधिकारी धौलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 25.01.2020 को घरेलू गैस की अवैध रिफिलिग की जांच करने हेतु धौलपुर बाडी रोड पर जगदीश टॉकीज, प्रागण धौलपुर पहुॅचे । मौके पर गैस की अवैध रिफिलिंग के स्थल पर श्री योगेश नागर पुत्र हुकुमसिंह नागर जाति खटीक उम्र 26 निवासी छावनी जिला धौलपुर उपस्थित मिला जिसने घरेलू गैस को ऑटो रिक्शा में रिफिल करना स्वीकार किया तथा अवैध रिफिलिंग स्थल पर 11 गैस सिलेण्डर, 3 इलैक्ट्रिक मोटर (पम्प सैट), इलैक्ट्रिक तार, रेग्यूलेटर तथा 1 डिजिटल वजन मशीन उपलब्घ पाये जिनका प्रयोग घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग में किया जाना स्वीकार किया। योगेश नाग़र ने उक्त दुकान को किराये पर लेना बताया गया है, उक्त सिलेण्डर, इलैक्ट्रिक मोटर, इलैक्ट्रिक कांटा स्वंय का होना तथा ऑटो रिक्शा में 55–60 रू0 प्रति लीटर के हिसाब से गैस भरना स्वीकार कर बयान किया। मौके पर श्री योगेश नागर द्वारा घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग के संबंध में पूछताछ की गयी । पूछताछ पर अप्रार्थी द्वारा संतोषजनक जबाव नहीं दिया गया और न ही कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध कराये । इस प्रकार श्री योगेश नागर के बयान तथा मौके पर मिले गैस सिलेण्डरों, इलैक्ट्रिक पम्प,

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

इलैक्ट्रिक कांटा तथा घरेलू गैस की व्यवसायिक उपयोग हेतु ऑटो रिक्शाओं में अवैध रिफिलिंग किया जाना स्पष्ट होता है। 11 गैस सिलेण्डर, 3 इलैक्ट्रिक मोटर (पम्प सैट), इलैक्ट्रिक तार, रेग्यूलेटर तथा 1 डिजिटल वजन मशीन को जब्त–ए सरकार किया जाकर अग्रिम आदेशों तक सुरक्षित रखे जाने हेतु मैसर्स शिवेन गैस ऐजेन्सी धौलपुर के प्रतिनिधि श्री दशरथ सिंह पुत्र श्री रविन्द्र सिंह जाति वधेल निवासी गुनपुर तहसील राजाखेडा की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक कार्य में उपयोग किये जाने पर द्रवित पेट्रोलियम गैस (नियंत्रण) आदेश 2000 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्त मौके पर पाये गये 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. एंव अन्य उपकरण को राजसात करने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट मौका फर्द, जब्ती व सुपुदर्गी की प्रति, नजरी नक्शा, बयान, फर्द तलपटटी की प्रति पेश की ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उसे इस नोटिस के समबन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर उज्रदारी पेश करें ।

अप्रार्थी की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया तथा नोटिस का जबाव पेश किया जिसमें उन्होने कथन किया कि अप्रार्थी से नोटिस में वर्णित सामान जप्त नहीं किया गया है, ना ही अप्रार्थी द्वारा उक्त इलैक्ट्रिक मोटर, इलैक्ट्रिक कांटा स्वंय का होना बताया गया है, ना ही अप्रार्थी को मौके पर किसी प्रकार की अवैध रिफिलिंग करते हुये पाया गया है। अप्रार्थी की जगदीश टॉकीज पर साउण्ड सर्विस वगैराह की दुकान है जिसमें उसने खुद के परिवार के सात सिलेण्डर व परिचितों के तीन सिलेण्डर अपने एक मित्र अनिल धारिया की वहिन की सन्धु पैलेस धौलपुर में 9.2. 2020 को सम्पन्न होने वाली शादी के लिये एकत्रित किये थे जिन्हें अवैध रूप से उठा लिया गया है। अप्रार्थी की दुकान से मात्र दस सिलेण्डर जव्त किये गये थे तथा पडौस की कबाड की दुकान से एक खराब सिलेण्डर को उठा कर अप्रार्थी की दुकान से ही जव्त किया जाना बता दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा किसी भी कानून का उल्लंधन नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी का जबाव नोटिस स्वीकार कर जव्तशुदा सिलेण्डरों को उनके स्वामियों को वापिस लौटाने बांकी किसी भी कथित तौर पर जव्त किये गये अन्य सामान से अप्रार्थी का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है एंव अप्रार्थी के विरूद्व प्रचारित नोटिस की कार्यवाही को निरस्त फरमाया जावे। गैस सिलेण्डरों के पास बुकों की छाया प्रति पेश की है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वक्त निरीक्षण अप्रार्थी से दुकान में 11 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं अन्य उपकरण पाये गये जिनका उपयोग अप्रार्थी व्यवसायिक कार्य में कर रहा था । अप्रार्थी ने उक्त कथनों को अपने बयान में भी स्वीकार किया है। जब अप्रार्थी से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो अप्रार्थी कोई संतोषजनक जबाव नहीं दे सका

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

ना ही कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत कर सका । इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है। उक्त आदेश के उल्लघंन पाये जाने पर 11 गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. एंव अन्य उपकरणों जो मौके पर जब्त सरकार किये गये है को राजसात किये जाने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी से नोटिस में वर्णित सामान जप्त नहीं किया गया है, ना ही अप्रार्थी द्वारा उक्त इलैक्ट्रिक मोटर, इलैक्ट्रिक कांटा स्वंय का होना बताया गया है, ना ही अप्रार्थी को मौके पर किसी प्रकार की अवैध रिफिलिंग करते हुये पाया गया है। अप्रार्थी की जगदीश टॉकीज पर साउण्ड सर्विस वगैराह की दुकान है जिसमें उसने खुद के परिवार के सात सिलेण्डर व परिचितों के तीन सिलेण्डर अपने एक मित्र अनिल धारिया की वहिन की सन्धु पैलेस धौलपुर में 9.2.2020 को सम्पन्न होने वाली शादी के लिये एकत्रित किये थे जव्तशुदा सिलेण्डरों को उनके स्वामियों को वापिस लौटाने के आदेश फरमावें तथा बांकी किसी भी कथित तौर पर जव्त किये गये अन्य सामान से अप्रार्थी का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है एंव अप्रार्थी के विरूद्व प्रचारित नोटिस की कार्यवाही को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की दुकान का निरीक्षण किया। अवैध रिफिलिंग स्थल पर 11 गैस सिलेण्डर, 3 इलैक्ट्रिक मोटर (पम्प सैट), इलैक्ट्रिक तार, रेग्यूलेटर तथा 1 डिजिटल वजन मशीन उपलब्ध पाये जिनका प्रयोग घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग में किया जाना स्वीकार किया। योगेश नागर ने उक्त दुकान को किराये पर लेना बताया गया है, उक्त सिलेण्डर, इलैक्ट्रिक मोटर, इलैक्ट्रिक कांटा स्वंय का होना तथा ऑटो रिक्शा में 55-60 रू0 प्रति लीटर के हिसाब से गैस भरना स्वीकार कर अपना बयान दर्ज किया है। दौराने पूछताछ एवं जॉच अप्रार्थी कोई संतोषजनक जबाव नहीं दे सका ना ही कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत किये व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का मिलना यह सिद्ध करता है कि अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग ऑटो रिक्शाओं में अवैध रिफिलिंग किया जाना बताया है। इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के उपबन्धों का उल्लंघन है। अप्रार्थी द्वारा एल पी जी गैस वितरण एवं विनियमन आदेश 2000 की धारा 3 (1) (ई) 6-7 का उल्लघंन होना सिद्ध पाया जाता है। यदि अप्रार्थी द्वारा किये गये इस कृत्य को नहीं रोका गया तो अन्य व्यक्ति भी इस प्रकार के अवैध कृत्य करने का साहस करेगें। जो कानूनन सही नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्त शुदा माल 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. एवं अन्य उपकरण 3 इलैक्ट्रिक मोटर (पम्प सैट), इलैक्ट्रिक तार, रेग्यूलेटर तथा 1 डिजिटल वजन मशीन को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

खाद्य विभाग जयपुर से प्राप्त परिपत्र दिनांक 19.8.2000 एवं 20.10.2000 के अनुसार 6 ए के तहत न्यायालय द्वारा राजसात किये गये वे सभी गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

जब्त पडे हैं तथा उनका निस्तारण नहीं हुआ है तथा जिनका पुनः उपयोग बिना ऑयल कम्पनी की सहमति एवं निरीक्षण के करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं हैं। ऐसे सभी सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त या राजसात किये गये हैं को सुरक्षा कारणों से निस्तारण हेतु ऑयल कम्पनी को वापस लौटा दिया जावे। गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर ऑयल कम्पनी की सम्पत्ति है इसे खुले बाजार में नीलामी में नहीं बेचा जा सकता। न्यायालय के निर्णय उपरान्त निस्तारण की दृष्टि से जो भी उपाय होते हैं, वह सम्बन्धित ऑयल कम्पनी ही करेगी। इस हेतु ऑयल कम्पनी से कोई राशि वसूल नहीं की जानी है। परन्तु ऑयल कम्पनी को उक्त सिलेण्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धनराशि ऑयल कम्पनी राजकोष में जमा करायेगी। जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह जब्त शुदा माल का नियमानुसार निस्तारण करावे। निर्णय की प्रतिलिपि वास्ते पालना जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो । बाद तकमील दाखिल दफतर हो। नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट * धौलपुर (राज0) *